संविधान दिवस के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का सम्बोधन

———

माननीय राष्ट्रपति महोदय,

माननीय उपराष्ट्रपति महोदय,

माननीय प्रधानमंत्री जी,

राज्य सभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी,

राज्य सभा में सदन के नेता एवं केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी,

माननीय केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री श्री प्रल्हाद जोशी जी,

उपस्थित माननीय केन्द्रीय मंत्रीगण,

माननीय सांसदगण,

उपस्थित गणमान्य अतिथिगण,

भाइयों और बहनों

1. देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था। और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की थी।

2. संविधान हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे अधिकारों का स्रोत है, जो हमें हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग दिखाता है।

3. हमारा संविधान देश की एकता-अखंडता एवं नागरिकों की Dignity, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है।

4. यह ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे संविधान मनीषियों को सादर नमन।

5. हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है, जो हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी कराता है।

6. यदि हम सभी जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें, तो हम प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' को साकार कर सकते हैं।

7. हमारे प्रगतिशील संविधान को देश विदेश हर जगह सम्मान की दृष्टि से तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। क्योंकि हमारे जीवंत लोकतंत्र तथा देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में इसकी भूमिका निर्णायक रही है।

8. हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन देश के लिए अपने कर्तव्यों पर विचार मंथन करें।

9. संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अन्दर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन मनन से जो अमृत निकलेगा उससे ही आमजन के जीवन में सार्थक बदलाव लाया जा सकता है।

10. जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह भी दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परम्पराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें, देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों का सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए हमें अच्छी परम्पराओं और परिपाटियों को और सशक्त एवं मजबूत करना चाहिए।

11. आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतान्त्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें।

12. आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें गौरवान्वित करने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उप-राष्ट्रपति जी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ तथा आप सभी को पुनः संविधान दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द।

———